पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद **संख्या 15590**

==========

जितेन्द्र स्वामी पिता स्व. उमाशंकर सिंह निवासी ग्राम- सावन बिगहरा, थाना- दरौंदा, जिला- सिवान।

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. प्रधान सचिव गृह विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. चापड़ा में संभागीय आयुक्त, सारण।
4. जिला मजिस्ट्रेट, सिवान।

... ... उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थितः

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ता : श्री मो. नादिम सेराज (जीपी-5)

श्री धुरेंद्र कुमार, एसी से जीपी-5

==========

शस्त्र अधिनियम, 1959—धारा 17(3)(b)—हथियार के लाइसेंस की निरसन—याचिकाकर्ता के पास एक मान्य हथियार लाइसेंस था—याचिकाकर्ता का हथियार लाइसेंस अधिकारियों द्वारा रद्द कर दिया गया क्योंकि याचिकाकर्ता ने जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना के प्रकाश में अपने हथियारों को भौतिक सत्यापन के लिए प्रस्तुत नहीं किया—याचिकाकर्ता का यह तर्क कि उसके हथियार संबंधित पुलिस स्टेशन के एस.एच.ओ. की हिरासत में थे—हथियार लाइसेंस रद्द करने से पहले याचिकाकर्ता को स्पष्ट करने का कोई अवसर नहीं दिया गया—लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने यह निर्धारित करने के लिए कोई विशिष्ट कारण दर्ज नहीं किया कि याचिकाकर्ता को हथियार लाइसेंस रखने की अनुमति देना सार्वजनिक शांति के लिए हानिकारक होगा,

इसलिए, उसने अधिनियम, 1959 की धारा 17(3)(b) के तहत उसे दिए गए अधिकारों का प्रयोग नहीं किया, विवादित आदेश को रद्द किया गया—रिट याचिका स्वीकार की गई।

(पैरा 11, 13)

*1990 पीएलजेआर 217; सीडब्ल्यूजेसी संख्या 10093/2016; सीडब्ल्यूजेसी संख्या 4201/2015; सीडब्ल्यूजेसी संख्या 2605/2006—**निर्भर किया गया** ।*

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

मौखिक निर्णय

तारीखः 02-07-2024

वर्तमान रिट याचिका जिला मजिस्ट्रेट, सीवान द्वारा पारित दिनांक 12.01.2022 के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके तहत शस्त्र अधिनियम, 1959 (जिसे आगे 'अधिनियम, 1959' के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 17(3)(बी) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए याचिकाकर्ता का शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, साथ ही शस्त्र अपील मामला संख्या 95/2022 में आयुक्त न्यायालय, सारण संभाग, छपरा द्वारा पारित दिनांक 23.12.2022 के आदेश को रद्द करने के लिए भी दायर की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया है।

2. याचिकाकर्ता के अनुसार मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि महाराजगंज थाना वाद संख्या 22 याचिकाकर्ता 2005 एवं अन्य के विरुद्ध दिनांक 26.02.2005 को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-ए), 25(1-बी), (ए 26(1),26(2) एवं 35 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए पंजीकृत किया गया था, जिसके पश्चात याचिकाकर्ता के शस्त्र जब्त कर लिए गए थे तथा तत्पश्चात उक्त आपराधिक मामले की सुनवाई हुई थी तथा अंततः सत्र परीक्षण संख्या 361/2009 में विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय, सीवान द्वारा दिनांक 11.06.2015 को पारित निर्णय द्वारा याचिकाकर्ता को सभी

आरोपों से बरी कर दिया गया था। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता के पास शस्त्र लाइसेंस संख्या 56/1993 का वैध शस्त्र लाइसेंस था तथा उसके पास एन.पी.बोर रिवॉल्वर थी, जिसे महाराजगंज थाना वाद संख्या 22/2005 के दाखिल किए जाने के कारण जब्त कर लिया गया था। लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा पारित 23.05.2022 के रिलीज आदेश के अनुपालन में एस.एच.ओ., महाराजगंज द्वारा 23.05.2022 को ही रिहा कर दिया गया। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि हालांकि जिला मजिस्ट्रेट, सीवान ने 22.07.2021 को एक सामान्य नोटिस जारी किया था, जिसमें सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को सत्यापन के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष हथियार जमा करने का निर्देश दिया गया था, हालांकि, याचिकाकर्ता जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष हथियार पेश करने की स्थिति में नहीं था क्योंकि हथियार महाराजगंज पुलिस स्टेशन में पड़े थे, फिर भी, जिला मजिस्ट्रेट, सीवान ने याचिकाकर्ता के शस्त्र लाइसेंस को 12.01.2022 के आदेश द्वारा इस तथ्य के आधार पर रद्द कर दिया था कि याचिकाकर्ता भौतिक सत्यापन के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष हथियार पेश करने में विफल रहा था। याचिकाकर्ता ने तब अपील दायर की थी, हालांकि, इसे भी 23.12.2022 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया है क्योंकि अधिनियम की धारा 17(3)(बी) के तहत शस्त्र लाइसेंस रद्द करने से पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है, क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट, सीवान द्वारा याचिकाकर्ता को कोई विशेष नोटिस जारी नहीं किया गया था। इस संबंध में ***1990 पीएलजेआर 217 (अमर सिन्हा बनाम जिला मजिस्ट्रेट, मुंगेर और अन्य)*** में रिपोर्ट किए गए एक निर्णय पर भरोसा किया गया है, जिसके पैराग्राफ संख्या 5, 8 और 9 नीचे दिए गए हैं: -

> *"5. श्री राधा मोहन प्रसाद ने प्रस्तुत किया है कि आरोपित आदेश (अनुलग्नक-3) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को*

*उसकी बंदूक का लाइसेंस निलंबित करने से पहले सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था और इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है जैसा कि **नृपेंद्र नारायण रॉय बनाम बिहार राज्य और अन्य,** 1974 पी.एल.जे.आर. 296 में कहा गया है, और इस प्रकार उक्त आदेश रद्द किए जाने योग्य है।*

*8. **कपिलदेव सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य** ए.आई.आर. 1987 पटना 122: 1987 पी.एल.जे.आर. 385 में हमारे उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने इस प्रकार टिप्पणी की थी:-*

"...ऐसा नहीं है कि कोई भी और हर आपराधिक मामला लंबित हो, जिसके कारण वैध रूप से दिए गए लाइसेंस को निलंबित या रद्द किया जा सके। आपराधिक मामला मामूली यातायात अपराध से लेकर सबसे जघन्य अपराध तक हो सकता है। जबकि पूर्व के लंबित होने से धारा 17 (3) के तहत पर्याप्त आधार नहीं मिल सकता है, लेकिन बाद के मामले में नोटिस और स्पष्टीकरण की सुनवाई के बाद ऐसी कार्रवाई आवश्यक हो सकती है।

X X X

"..यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि लाइसेंस के निलंबन और निरस्तीकरण के लिए निर्धारित वैधानिक शर्तें समान हैं। उपधारा (3) के खंड (ए), (बी), (सी) और (डी) के प्रावधान लाइसेंस के निलंबन और निरस्तीकरण के आधारों पर पूर्ण एकरूपता के साथ लागू होते हैं।" (जोर दिया गया)।

9. प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील उपर्युक्त कानून के प्रस्तावों पर विवाद नहीं करते हैं।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 09.01.2017 को ***अमरजीत कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (सीडब्ल्यूजेसी संख्या 10093/2016)*** के मामले में दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया है, जिसके प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे पुनः प्रस्तुत किए जा रहे हैं:-

"अब याचिकाकर्ता द्वारा उठाया जा रहा मुद्दा यह है कि क्या इस आधार पर लाइसेंस रद्द करने के लिए कोई नोटिस जारी किया गया था कि वह आग्नेयास्त्र नहीं खरीद सकता था? जवाबी हलफनामे में यह खुलासा नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता को उस विशेष उद्देश्य के लिए कभी कोई नोटिस जारी किया गया था, बल्कि सामान्य नोटिस से संकेत मिलता है कि सभी व्यक्ति जो वैध लाइसेंस के तहत आग्नेयास्त्र रखते थे, उन्हें सत्यापन के लिए अपने हथियार पेश करने की आवश्यकता थी, लेकिन याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसने आग्नेयास्त्र खरीदा ही नहीं है, इसलिए सत्यापन के लिए उसे पेश करने का कोई सवाल ही नहीं है।

मेरे विचार में, लाइसेंस रद्द करने या निलंबित करने के लिए दंडात्मक कार्रवाई करने से पहले लाइसेंसधारी को एक उचित अवसर दिया जाना आवश्यक है। इस संबंध में ***अमर सिन्हा बनाम जिला मजिस्ट्रेट, मुंगेर और अन्य [1990 पीएलजेआर 270]*** *में दिए गए इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया जाता है।* ***कपिलदेव सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य 1987 [एआईआर 1987 पैट 122]*** *में पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित कानून की सराहना के बाद विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा है कि सुनवाई का अवसर दिए बिना "किसी भी आधार" पर शस्त्र लाइसेंस को निलंबित या रद्द करना गलत है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।*

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का लाइसेंस जिला मजिस्ट्रेट, सीवान द्वारा अधिनियम, 1959 की धारा 17(3)(बी) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रद्द कर दिया गया है, तथापि, लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा इस आशय की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पहुंचने के लिए कोई विशेष कारण दर्ज नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता को शस्त्र लाइसेंस रखने की अनुमति देना सार्वजनिक शांति की सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए हानिकारक होगा।

6. इस समय, अधिनियम, 1959 की धारा 17(3)(बी) को नीचे पुनः उद्धृत करना प्रासंगिक होगा:-

17. ***लाइसेंसों में परिवर्तन, निलंबन और प्रतिसंहरण।***

(3) लाइसेंस प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा किसी लाइसेंस को ऐसी अवधि के लिए निलंबित कर सकता है, जितनी वह उचित समझे या लाइसेंस को प्रतिसंहृत कर सकता है।

(ख) यदि लाइसेंस प्राधिकारी सार्वजनिक शांति की सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए लाइसेंस को निलंबित या प्रतिसंहृत करना आवश्यक समझता है।"

7. *इसके विपरीत,* प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि चूंकि जिला मजिस्ट्रेट, सीवान द्वारा दैनिक समाचार पत्र में नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें संबंधित जिले के शस्त्र लाइसेंस धारक को अपने संबंधित हथियारों के सत्यापन के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया था और याचिकाकर्ता ऐसा करने में विफल रहा है, उसका लाइसेंस जिला मजिस्ट्रेट, सीवान द्वारा दिनांक 12.01.2022 के आक्षेपित आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया है, हालांकि, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने इस तथ्य से इनकार नहीं किया है कि याचिकाकर्ता से संबंधित प्रश्नगत हथियार वास्तव में एसएचओ, महाराजगंज के कब्जे में थे, उक्त अवधि के दौरान यानी दिनांक 22.07.2021 को नोटिस जारी करने की तिथि पर, याचिकाकर्ता और अन्य के खिलाफ 26.02.2005 को उपरोक्त आपराधिक मामला दर्ज करने के कारण और इसे केवल 23.05.2022 को जारी किया गया था।

8. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है। इस न्यायालय को लगता है कि वर्तमान मामले में एक बहुत ही दिलचस्प और विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि याचिकाकर्ता के हथियार प्रासंगिक अवधि के दौरान एस.एच.ओ. महाराजगंज की हिरासत में थे, तथापि, उक्त तथ्य से अनभिज्ञ होकर, जिला मजिस्ट्रेट, सीवान ने बिना किसी कारण के, दिनांक 12.01.2022 के आक्षेपित आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के शस्त्र लाइसेंस को रद्द कर दिया है। वास्तव में जिला मजिस्ट्रेट, सीवान ने दिनांक 12.01.2022 को आक्षेपित आदेश पारित करते समय यह महसूस किया होगा कि याचिकाकर्ता प्रश्नगत हथियार पेश नहीं

कर सकता था, क्योंकि वह एस.एच.ओ. के पास जमा था। महाराजगंज में वर्ष 2005 में ही मामला दर्ज किया गया था, जिसे 23.05.2022 को ही जारी किया गया था, इस प्रकार, केवल इस आधार पर, दिनांक 12.01.2022 का आरोपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है। यह न्यायालय आगे यह पाता है कि निस्संदेह याचिकाकर्ता को कभी कोई व्यक्तिगत नोटिस जारी नहीं किया गया था और न ही याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिया गया था, इसलिए इस आधार पर भी दिनांक 12.01.2022 का आरोपित आदेश कानून की दृष्टि से गलत है और अपास्त किए जाने योग्य है। मामले का यह पहलू अमर सिन्हा (उपर्युक्त) और अमरजीत कुमार सिंह (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा निर्धारित कानून द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है।

9. अब याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए दूसरे कानूनी मुद्दे पर आते हैं, यानी अधिनियम, 1959 की धारा 17(3)(बी) के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह इस आशय का अपना व्यक्तिपरक संतोष दर्ज करे कि याचिकाकर्ता को हथियार/हथियार लाइसेंस रखने की अनुमति देना सार्वजनिक शांति के लिए हानिकारक होगा, हालांकि, लाइसेंसिंग प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा क्रमशः दिनांक 12.01.2022 और 23.12.2022 को आरोपित आदेश पारित करते समय ऐसा कोई कारण दर्ज नहीं किया गया है। इस संबंध में, इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 01.05.2018 को ***रामायण चौबे बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (सीडब्ल्यूजेसी संख्या 4201/2015)*** के मामले में पारित निर्णय का संदर्भ लिया जाना चाहिए, जिसके प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:-

> *"लाइसेंसिंग प्राधिकरण को शस्त्र अधिनियम की धारा 17(3)(ए) में प्रदत्त शक्ति का सहारा लेने का अधिकार है, जब लाइसेंसिंग प्राधिकरण को यह विश्वास हो जाता है कि लाइसेंस धारक को इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत किसी भी हथियार या गोला-बारूद को प्राप्त करने, अपने कब्जे में रखने या ले जाने से प्रतिबंधित किया गया*

है, या वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है, या किसी भी कारण से इस अधिनियम के तहत लाइसेंस के लिए अयोग्य है। निस्संदेह, वर्तमान मामले में लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने शस्त्र अधिनियम की धारा 17(3)(ए) के तहत शक्ति का सहारा नहीं लिया है। हालांकि, शस्त्र अधिनियम की धारा 17(3)(बी) के तहत ऐसे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग तब किया जा सकता है, जब लाइसेंसिंग प्राधिकरण सार्वजनिक शांति और सार्वजनिक सुरक्षा की सुरक्षा के लिए लाइसेंस को निलंबित या रद्द करना आवश्यक समझे। इस संबंध में कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है, जैसा कि अधिनियम की धारा 17(3)(बी) के तहत अपेक्षित है, न तो लाइसेंसिंग प्राधिकरण के मूल आदेश में और न ही अपीलीय प्राधिकरण के आदेश में। अधिनियम की धारा 17(3)(सी) का वर्तमान प्रयोग मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है, जिसमें लाइसेंस के आवेदन या अनुदान के समय भौतिक तथ्यों को दबाने पर लाइसेंस को निलंबित, रद्द या रद्द करने की शक्ति है। शस्त्र अधिनियम की धारा 17(3)(डी) के तहत ऐसी शक्ति का प्रयोग तब किया जा सकता है, जब लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो। वर्तमान मामले में भी इस आशय का कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है। हालाँकि, शस्त्र अधिनियम की धारा 17(3) (ई) में यह प्रावधान है कि लाइसेंस को निलंबित करने की शक्ति का प्रयोग तब भी किया जा सकता है, जब लाइसेंस धारक उप-धारा (1) के तहत नोटिस का पालन करने में विफल रहता है, जिसमें उसे लाइसेंस सौंपने की आवश्यकता होती है, लेकिन, वर्तमान मामले में यह लाइसेंस रद्द करने का कारण नहीं था। लाइसेंस रद्द करने का कारण जो लाइसेंसिंग प्राधिकरण के आदेश में उल्लेख किया गया है, वह यह है कि याचिकाकर्ता को संदेह के लाभ के आधार पर बरी कर दिया गया था। हालाँकि, लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने यह दर्ज नहीं किया है कि यदि उसे लाइसेंस बनाए रखने की अनुमति दी जाती है, तो यह सार्वजनिक शांति और याचिकाकर्ता की सार्वजनिक सुरक्षा के लिए किस तरह से खतरा होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपराधिक मामले में बरी होने पर भी लाइसेंसधारी के शस्त्र लाइसेंस का निलंबन, निरस्तीकरण या निरस्तीकरण स्वतः समाप्त नहीं हो जाता। आपराधिक आरोप से बरी होने की स्थिति में भी लाइसेंसिंग प्राधिकारी लाइसेंसधारी को लाइसेंस रखने की अनुमति नहीं दे सकता

या लाइसेंस रद्द कर सकता है और अन्यथा दोषसिद्धि की स्थिति में भी लाइसेंसिंग प्राधिकारी लाइसेंसधारी को लाइसेंस रखने की अनुमति दे सकता है, जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपराधिक मामले में बरी होने पर भी लाइसेंसधारी के शस्त्र लाइसेंस का निलंबन, निरस्तीकरण या निरस्तीकरण स्वतः समाप्त नहीं हो जाता। आपराधिक आरोप से बरी होने की स्थिति में भी लाइसेंसिंग प्राधिकारी लाइसेंसधारी को लाइसेंस रखने की अनुमति नहीं दे सकता या लाइसेंस रद्द कर सकता है और अन्यथा दोषसिद्धि की स्थिति में भी लाइसेंसिंग प्राधिकारी लाइसेंसधारी को लाइसेंस रखने की अनुमति दे सकता है, जैसा कि कपिलदेव सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा 1987 पीएलजेआर 385 में उल्लिखित किया गया है। पैराग्राफ 12 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

> *''वास्तव में, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उप-धारा (3) के तहत आपराधिक आरोप पर वास्तविक दोषसिद्धि या दोषमुक्ति का लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग पर कोई कठोर या निर्णायक प्रभाव नहीं पड़ता है। भले ही लाइसेंस धारक को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया जाए, फिर भी लाइसेंसिंग प्राधिकारी शायद यह विचार कर सकता है कि अन्य कारकों के साथ-साथ ऐसा व्यक्ति शस्त्र लाइसेंस रखने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। इसी प्रकार, किसी भी और हर आपराधिक आरोप पर दोषसिद्धि एक कठोर नियम प्रदान नहीं करेगी कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी को उसे रद्द करना होगा और उक्त लाइसेंस को जारी रखने की अनुमति देना उचित हो सकता है। जैसा कि आगे उल्लेख किया गया है, दोषसिद्धि और दोषमुक्ति लाइसेंसिंग प्राधिकारी के लिए उप-धारा (7) के तहत प्रासंगिकता के मुद्दे हैं, जो उप-धारा (3) के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। '' इसमें कोई संदेह नहीं है कि शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (7) के तहत शस्त्र लाइसेंस को रद्द करना इस वस्तुनिष्ठ तथ्य पर आधारित है कि, निलंबन या निरस्तीकरण की शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा लाइसेंस धारक को दोषी ठहराते हुए भी किया जा सकता है, यदि लाइसेंसधारी पर शस्त्र अधिनियम या नियमों के तहत किसी अपराध का आरोप लगाया गया हो,*

जबकि शस्त्र अधिनियम रद्दीकरण की धारा 17 (7) के प्रावधान में यह प्रावधान है कि यदि उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के निर्णय को खारिज कर दिया जाता है तो लाइसेंस स्वतः ही बहाल हो जाता है। इसलिए, केवल पढ़ने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत शक्ति का प्रयोग लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट कारण दर्ज किए बिना नहीं किया जा सकता है, ताकि इस आशय की व्यक्तिपरक संतुष्टि तक पहुंचा जा सके कि याचिकाकर्ता को शस्त्र लाइसेंस रखने की अनुमति देना सार्वजनिक शांति के लिए हानिकारक होगा।

10. ***शैलेन्द्र कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (सीडब्लूजेसी संख्या 2605/2006)*** के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक 22.03.2018 के निर्णय द्वारा माना है कि अधिनियम, 1959 की धारा 17(3)(बी) के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकारी शस्त्र लाइसेंस में परिवर्तन, निलम्बन या निरस्तीकरण कर सकता है, यदि वह लोक शांति एवं लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक समझता है, तथापि, लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा पारित किए जा रहे विवादित आदेश में अथवा शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का आदेश पारित करते समय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा ऐसी संतुष्टि दर्ज किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में दिनांक 22.03.2018 के उक्त निर्णय के सुसंगत पैराग्राफ नीचे पुनः प्रस्तुत किए जा रहे हैं:-

"वर्तमान मामले में, बांड की अवधि 18.05.1998 को समाप्त हो गई, जबकि जिला मजिस्ट्रेट ने 26.07.1999 को शस्त्र लाइसेंस रद्द करने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया। इसलिए, लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अधिकार क्षेत्र का गलत तरीके से प्रयोग किया गया है। शस्त्र अधिनियम की धारा 17 लाइसेंसिंग प्राधिकरण को विभिन्न आधारों पर शस्त्र लाइसेंस को निलंबित करने और रद्द करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है। शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (3) (बी) में यह प्रावधान है कि यदि लाइसेंसिंग प्राधिकरण सार्वजनिक शांति और सार्वजनिक सुरक्षा की सुरक्षा के लिए आवश्यक समझता है, तो वह शस्त्र लाइसेंस को बदल सकता है, निलंबित कर सकता है और रद्द कर सकता है। ऐसी

संतुष्टि जो ऐसे अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए अनिवार्य है, न तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा और न ही अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विवादित आदेश में दर्ज की गई है।

11. वर्तमान मामले में, लाइसेंसिंग प्राधिकारी ने इस आशय की व्यक्तिपरक संतुष्टि तक पहुंचने के लिए कोई विशेष कारण दर्ज नहीं किया है कि याचिकाकर्ता को हथियार लाइसेंस रखने की अनुमति देना सार्वजनिक शांति के लिए हानिकारक होगा, इस प्रकार वह अधिनियम, 1959 की धारा 17(3)(बी) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता था, इसलिए दिनांक 12.01.2022 का आरोपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

12. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा उपरोक्त कारणों से, यह न्यायालय पाता है कि दिनांक 12.01.2022 का विवादित आदेश, सबसे पहले, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है तथा दूसरा, अधिनियम, 1959 की धारा 17(3)(बी) के तहत निहित प्रावधानों के विपरीत है, इसलिए इसे गैरकानूनी होने के कारण रद्द किया जाता है। परिणामस्वरूप, छपरा में सारण डिवीजन के आयुक्त के विद्वान न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 03.12.2022 का अपीलीय आदेश, टिकने लायक नहीं है, इसलिए इसे भी रद्द किया जाता है।

13. रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

एस. एसबी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त

व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।